

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

चौहान

22/18
11.5.78

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम चौहान की जमाबन्दी

संवत् 2070/72 2073 खाता संख्या 63 में मेरा नाम हीरा वल्लु जाला का हिस्सा हुआ है जबकि मेरा वास्तविक नाम हीराम वल्लु जाला है। मेरा आधार कार्ड, महापंच परिचय पत्र एवं दस्तावेजों में मेरा नाम हीराम वल्लु जाला है। बोलचाल में मुझे पु.स.रा व पहचाना जाता हूँ इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में हीरा वल्लु जाला के स्थान पर हीराम वल्लु जाला दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी का वास्तविक नाम हीराम वल्लु जाला है मैं इनको पारिपालन से पहचानता हूँ। राजस्व रिकॉर्ड में हीरा वल्लु जाला के स्थान पर हीराम वल्लु जाला की सुधार की सिफारिश करता हूँ।

दिनांक

83

[Signature]

उप प्रधान

[Signature]



22/18 दि. 11.5.18

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

Sir,
निवेदन है कि ग्राम चालकता में हीरा वल्ड जाला का नाम जमाखती संवत् 2070-73 में हीरा वल्ड जाला दर्ज है जबकि पार्थी के माध्यम व परिचयपत्र में ~~हीरा वल्ड~~ हीराराम दर्ज है। पार्थी का नाम हीराराम ~~वल्ड~~ किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

11.5.18
पटवारी
11/5/18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

पटवारी व भू-अ. निरीक्षण जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त में पटवारी की पहचान के माध्यम पर पार्थी का नाम "हीरा वल्ड जाला" के स्थान पर "हीराराम वल्ड जालाराम" दुरुस्त करने की सिफारिश की जाती है।

(मुनील कुमार कटवा)
तहसीलदार, (भू-अ) पटवारी

तहसीलदार सेडवा, IUR सेडवा, पटवारी ब्लाक मैरुडी से जांच जांच रिपोर्ट द्वारा पार्थी के माध्यम पेश दस्तावेजों के आधार पर पटवारी पत्र सीकर का पार्थी का नाम हीरा वल्ड जाला के स्थान पर उसका शुद्ध नाम हीराराम वल्ड जालाराम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का तहसीलदार सेडवा को आदेश दिया जाता है। आवक के लिए प्रभार टैकट कार्यालय दफ्तर हो।



उपरोक्त अधिकारी
चौहटन